Name - Parnika Sharma
Class - BVSc. 1st year
Admn. No - V-2022-03-045

Ragging Ruins

भूमिका :- रैगिंग शिक्षण संस्थानों में नव आगंतुकों के साथ होने वाली एक बुराई है, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, भारत, श्रीलंका व अन्य कॉमनवैल्थ देशों में प्रचलित है जिसे अमेरिका में हेज़िंग (Hedging) के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय शिक्षण संस्थानों में रैगिंग अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी है। वास्तव में रैगिंग एक पश्चिमी संकल्पना है, इसकी शुरूआत यूरोपीय विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ छात्रों द्वारा नए छात्रों के स्वागत में किए जाने वाले मज़ाक़ से हुई। एक शायर ने भी क्या खूब लिखा है-

कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं
हम पूरब हैं पूरब वाले, हर जान की कीमत पहचानते हैं
मिल-जुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही रह जाती है
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।

रैगिंग क्या है :- ऐसा कोई कृत्य करना जिससे किसी छात्र को शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, शर्मिंदगी हो। जैसे किसी विद्यार्थी को चिढ़ाना या उसका मज़ाक उड़ाना अथवा किसी विद्यार्थी से ऐसा कोई कार्य करने को कहना जिसे वह सामान्य अनुक्रम में ना करे। रैगिंग को छात्रों द्वारा स्टंट और मनोरंजन का कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। जैसे-जैसे समय बीतता गया यह प्रथा कुप्रथा बन गई।

रैगिंग के प्रकार :- वर्तमान में रैगिंग अमानवीय, भद्दे तथा यातनापूर्ण तरीके से शालीनता व नैतिकता के विरुद्ध प्रचलित है। रैगिंग के कॉलेजों में कुछ प्रचलित तरीके वे हैं -

1) ड्रेस कोड रैगिंग
2) औपचारिक परिचय
3) मौखिक यातना
4) मजाक उड़ाना, मूर्ख बनाना
5) होस्टल रैगिंग
6) ड्रग्स, या शराब के लिए बाध्य करना
7) सीनियर छात्रों के लिए नोट्स बनाना
8) यौन उत्पीड़न
9) मानसिक प्रताड़ना

मानसिक प्रताड़ना का एक उदाहरण आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म 3 Idiots में बखूबी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कॉलेज के प्राध्यापक भी अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रताड़ना में संलिप्त होते हैं। वे छात्रों को प्रोत्साहित करने के विपरीत उन छात्रों को हतोत्साहित करते हैं। कुछ संवेदनशील छात्र प्राध्यापकों द्वारा किए गए व्यंग्यों को सह नहीं पाते और कोई गलत कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते।

दिखाई दे या ना दे, पर शामिल जरूर होता है।
खुदकुशी करने वाले का भी, कोई ना कोई कातिल जरूर होता है॥

रैगिंग का प्रभाव :- रैगिंग का प्रभाव छात्र के अतिरिक्त उसके परिवार व शिक्षण संस्थान जहाँ छात्रों की रैगिंग ली जाती है। उन संस्थानों की भी छवि समाज में खराब होती है। रैगिंग से पीड़ित छात्र के परिवार को भी अपने बच्चों को देखकर पीड़ा भोगनी पड़ती है। सन् 2009 में टांडा मैडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले MBBS के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु 19 छात्र अमन काचरू की बेरहमी रैगिंग और

पिटाई के बाद मृत्यु हो गई थी। आज भी अमन काचरू के माता पिता इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अमन काचरू यदि आज जीवित होते तो ये कहते -

सोचा था खुदा के सिवाए मुझे कोई बर्बाद नहीं करेगा
फिर उनकी रैगिंग ने मेरे सारे वहम तोड़ दिए।

रैगिंग के विरुद्ध कानून :- रैगिंग की घटनाएं रोकने के लिए, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में रैगिंग के विरुद्ध निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं।

1) The Prohibition and Ragging Act 1995 (Tamilnadu)
2) The Andhra Pradesh prohibition & ragging act 1997.
3) The Kerala prohibition ragging act 1998.
4) The Maharashtra prohibition ragging act 1999.
5) The prohibition of Ragging in educational institute act 2000 (West Bengal)
6) Himachal Pradesh educational Institution (Prohibition of Ragging Act) 2009

रैगिंग रोकने के उपाय :-

1) छात्रवृत्ति व अन्य लाभ रोके जाएं।
2) विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने पर रोक।
3) ~~परिक्षा~~ परिक्षा परीक्षा परिणाम रोकना।
4) होस्टल से निकाला जाना।
5) रैगिंग से सम्बन्धित विधान व आदेश छात्रों तथा उनके अभिवावकों के ज्ञान में लाना।
6) होस्टल वार्डन का नये छात्रों के सम्पर्क में रहना।
7) रैगिंग के दुष्परिणामों के बारे में नोटिस बोर्ड, पोस्टर आदि से जानकारी प्रदान करना।
8) छात्रों और उनके अभिवावकों से अंडरटेकिंग किया जाना।
9) समाज को रैगिंग के प्रति संवेदनशील बनाना।

(७) ऐसे संस्थान जहाँ रैगिंग के मामले सामने आएं, उनकी वित्तीय सुविधाएं वापिस लेना।

रैगिंग के मामले में कॉलेज, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी ठहराया जाना आवश्यक है। ऐसे मामले में कॉलेज/स्कूल प्रशासन द्वारा छात्र के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जानी चाहिए तथा ऐसी प्रत्येक मामले की जानकारी उनके द्वारा जिला स्तर पर गठित Anti Ragging Committee व संबंधित विश्वविद्यालय को दी जानी चाहिए।

उपसंहार :- रैगिंग एक पश्चिमी कुप्रथा है जिसने व्यापक रूप से भारत में अपनी जड़ें बिछा रखी हैं। रैगिंग छात्रों की छात्रों द्वारा की जाने वाली समस्या है। अतः इसका उपाय भी छात्रों द्वारा ही संभव है। ऐसे समय में जब कॉलेजों में रैगिंग के मामलों में वृद्धि हो रही है, छात्र समुदाय को इस अमानवीय कृत्य के विरुद्ध अपनी चेतना जाग्रत करनी चाहिए। अध्यापकों को भी इस कुप्रथा को मिटाने के लिए सहयोग करना चाहिए। ताकि जो होनहार विद्यार्थी आकाश में सूर्य की तरह दीप्तिमान होंगे, उनकी प्रतिभा पर ग्रहण ना लगें। नवआंगतुक विद्यार्थियों को भी हल्के फुल्के परिचय को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और उन्हें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि -

तकाज़ा है वक्त का, तूफान से जूझो तुम।
कब तक और कहाँ तक चलोगे किनारे - किनारे ॥